# IBDF SEEKS LIGHTER BROADCAST REGULATIONS

***The broadcasters' body has urged the government to remove the proposed 30-minute public service content mandate and provide greater commercial and operational flexibility. It has also called for proportionate penalties, regulatory certainty and a clear separation between content and carriage regulation.***

The Indian Broadcasting and Digital Foundation (IBDF) has urged the government to substantially reduce the regulatory burden on television broadcasters, calling for changes to the revised draft broadcasting authorisation rules issued by the Ministry of Information and Broadcasting (MIB) on September 2, 2026.

Speaking at the CII Big Picture Summit 2026, IBDF Secretary General Avinash Pandey said the proposed framework should prioritise ease of doing business, regulatory certainty and operational flexibility, particularly as linear television faces increasing economic pressures and competition from digital platforms.

The industry body has called for the removal of the proposed 30-minute public service broadcasting content mandate, safeguards against disproportionate penalties and a clear separation between content regulation and telecommunications authorisation.

"Let me be clear at the outset: we appreciate MIB's intent to modernise the broadcasting regulatory framework. However, any reform must be guided by three fundamental principles: content-carriage separation, ease of doing business and regulatory certainty," Pandey said.

IBDF has also sought greater flexibility in commercial arrangements between broadcasters and distribution platform operators (DPOs). Other key demands include removing temporary live-uplinking processing fees for non-news channels covering sporting events and allowing differentiated subscription arrangements for commercial establishments such as hotels, restaurants, bars and pubs.

The proposed transition from the existing broadcasting permission regime to an authorisation framework under the Telecommunications Act, 2023, has raised concerns over overlapping regulatory jurisdictions, editorial autonomy, compliance costs and the potential consequences of technical or administrative lapses.■

# आईबीडीएफ ने प्रसारण नियमों को सरल बनाने की मांग की

***प्रसारकों के संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि वह 30 मिनट के 'पब्लिक सर्विस कंटेंट' दिखाने की प्रस्तावित अनिवार्यता को हटाये और व्यावसायिक व परिचालन संबंधी अधिक छूट दे। संगठन ने अनुपातिक दंड, नियमों मे स्पष्टता, और कंटेंट व कैरिज से जुड़े नियमों को एक-दूसरे से पूरी तरह अलग रखने की मांग की है।***

इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ) ने सरकार से टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स पर विनियामक बोझ को काफी कम करने का आग्रह किया है। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) 2 सितंबर 2026 को जारी 'ब्रॉडकास्टिंग ऑथराइजेशन रूल्स' के संशोधित मसौदे में बदलाव की मांग की है।

सीआईआई बिग पिक्चर समिट 2026 में बोलते हुए, आई बीडएफ के महासचिव अविनाश पांडे ने कहा कि प्रस्तावित ढ़ांचे में व्यापार करने में आसानी, नियामकीय निश्चितता और परिचालन लचीलेपन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, खासकर तब जब लीनियर टेलीविजन को बढ़ते आर्थिक दबावों और डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

उद्योग जगत ने प्रस्तावित 30 मिनट के सार्वजनिक सेवा प्रसारण सामग्री जनादेश को हटाने, अनुचित दंडों से सुरक्षा उपायों को लागू करने और सामग्री विनियमन और दूरसंचार प्राधिकरण के बीच स्पष्ट पृथक्करण की मांग की है।

श्री पांडे ने कहा, 'मैं शुरूआत में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूंः 'हम ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आधुनिक बनाने के एमआईबी के इरादे की सराहना करते हैं। हालांकि, किसी भी सुधार का आधार तीन मुख्य सिद्धांत होने चाहिएः कंटेंट और कैरिज का अलग होना, कारोबार करने में आसानी और रेगुलेटरी निश्चितता।'

आईबीडीएफ ने प्रसारकों और वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) के बीच वाणिज्यिक समझौतों में अधिक लचीलेपन की भी मांग की है। अन्य प्रमुख मांगों में खेल आयोजनों को कवर करने वाले गैर समाचार चैनलों के लिए अस्थायी लाइव अपलिंकिंग प्रोसेसिंग शुल्क को हटाना और होटल, रेस्तरां, बार और पब जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग सदस्यता व्यवस्था की अनुमति देना शामिल है।

मौजूदा प्रसारण अनुमति व्यवस्था से दूरसंचार अधिनियम, 2003 के तहत एक प्राधिकरण ढ़ांचे में बदलाव के प्रस्ताव ने कई चिंतायें पैदा कर दी है। इनमें नियामक अधिकार क्षेत्रों के आपास में टकराने, संपादकीय स्वतंत्रता, अनुपालन लागत और तकनीकी या प्रशासनिक चूक के संभावित परिणामों से जुड़ी चिंतायें शामिल है।■